

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1552

दिनांक 15/07/2022

**प्रार्थीगण :-**

1.नन्दराम 2.रुगनाथराम 3.पुरखाराम पि.वागाराम  
4.दमाराम 5.नानगाराम 6.डाऊराम 7.अचलाराम पि.  
हेमाराम, जाति जाट, निवासी पदमाणी,नेहरो की  
नाडी, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1. खंगारराम पुत्र हुकमाराम 2.उदाराम पुत्र  
टीडाराम 3.अन्नाराम 4.मंगलाराम 5.पेमाराम पि.  
फताराम, जाति भील 6.कलाराम 7.भगवानाराम पि.  
सोनाराम 8.खेताराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट,  
निवासी भीलों का तला 9.नारणाराम पुत्र दोलाराम  
10.कानाराम पुत्र खेताराम, जाति जाट, निवासी  
जाखड़ों का तला, बिसारणिया 11.पुखराज,12.गुमान  
पि.जुंजाराम, जाति ब्राहमण, निवासी बिसारणिया,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 59/2019

दिनांक : 15.07.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र  
नेहरो की नाडी के मौजा भीलों का तला के खेत खसरा सं. 994 रकबा 62.14 बीघा भूमि के चारों  
तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की  
नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के  
रुबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर  
पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित  
पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश  
रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1553 to 1556

**प्रतिलिपि :-**

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण नंदराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण खंगारराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 15/07/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन